तारीख हुक्म	हुक्म या. कार्यवाहीमदेइनिशियल्स
	वकील प्रार्थीयान बीफ होल्डर (राजा नबी ल इप्रार्थीगण)
21/2/19 नकलसांकि 27-2-2019	वकील प्रार्थीयान उप0। अप्रार्थीगण उप0 है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण। दि0 13/3/19 को पेश हो।
13/3/19	वकील फरीकैन उप0 अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री वीरेन्द्रपालसिंह एड0 उप0 है। पत्रावली वास्ते जवाब दि0 3/4/19 को पेश हो।
3/4/19	वकील फरीकैन उप0 अप्रार्थी सं.1 की ओर से जवाब पेश किया जिसकी नकल दिलाई गई तथा मुताबिक फर्द किता एक दस्तावेज पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/4/19 को पेश हो।
10/4/19	वकील फरीकैन उप0/PO साहब अवकाश / दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 8/5/19 को पेश हों।
8/5/19	तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई वकील फरीकैन उप0। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/5/19 को पेश हो।
15/5/19	वकील फरीकैन उप0। आदेश पृथक जारी किया जाता है। विस्तृत निर्णय / निर्णय जारी कर खारिज डिसमिस किया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
04/18	अस्थायी निषेधाज्ञा	24.01.18	15.05.19

जैतून पत्नि बादशाह जाति मुसलमान (फकीर) निवासी ईनायती तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रार्थीया

बनाम

1. चंवरसिह पुत्र हरिपाल जाति राजपूत आयु 70 साल निवासी ईनायती तहसील सपोटरा।
2. मदनमोहन पुत्र स्व0 कलुआ उर्फ रामजीलाल उम्र 61 साल जाति ब्रहाहम्ण निवासी ईनायती तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. राधामोहन पुत्र स्व0 कलुआ उर्फ रामजीलाल आयु 50 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ईनायती तहसील सपोटरा जिला करौली।
4. शिवमोहन पुत्र स्व0 कलुआ उर्फ रामजीलाल आयु 43 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ईनायती तहसील सपोटरा जिला करौली।
5. विधा पुत्री स्व0 कलुआ उर्फ रामजीलाल आयु 56 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ईनायती तहसील सपोटरा जिला करौली।
6. संतोष देवी पत्नि बलराम आयु 28 साल जाति कुम्हार निवासी ईनायती तहसील सपोटरा जिला करौली।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली।

–अप्रार्थीगण

दावा मे अर्जी अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु तहत दफा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितः– श्री रामरज गुप्ता वकील प्रार्थीया।
श्री धीरेन्द्रपालसिह वकील अप्रार्थी सं0 1
श्री मदनमोहन गुप्ता वकील अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम ईनायती तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 377 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 378/1 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 18 बिस्वा जो कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस आराजीयात पर प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 376 रकबा 18 बिस्वा ग्राम ईनायती तहसील सपोटरा मे स्थित है जिसमे अप्रार्थी सं0 1 का 5/12 हिस्सा एवं प्रार्थीया का हिस्सा 5/12 है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 द्वारा आपसी सहमति से उक्त आराजी को दो भागों मे सुविधानुसार विभाजित करके साढे सोलह विस्वा आराजी पर अप्रार्थी नं0 1 वहैसियत खातेदार काश्तकार करत चला आ रहा है एवं साढे सोलह विस्वा आराजी पर प्रार्थीया अलावा आराजी खसरा नं0 376 स्थित गूलर के पेड के पास स्थित आराजी 3 बिस्वा की वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जिस आराजी का आज तक प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य कानूनी रूप से बंटवारा नही हुआ है ना ही राजस्व रिकार्ड मे अलग अलग नाम के खातेदारी इन्द्राजात हुए है। आराजी खसरा नं0 376 मे से अपने 1/6 हिस्से की आराजी यानि 03 बिस्वा को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 के पिता स्व0 कलुआ उर्फ रामजीलाल द्वारा जुलाई सन् 2006 मे प्रार्थीया को बिल एवज 5000/– मे अपने जीवन काल मे विक्रय करके कब्जा संभलवा दिया था और तभी से आज तक प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

उक्त किये गये बेचान के बाबत् अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 को जानकारी शुरू से आज तक पूर्णतः रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 के दि लगे उक्त आराजीयात की मार्केट वैल्यू बढने के कारण बदनियति आ गयी है और इसी वरविनाय वदयान्ति से उक्त आराजी खसरा नं0 376 मे से हिस्से 1/6 के खातेदारी इन्द्राजात प्रार्थीया की जानकारी मे लाये बिना प्रार्थीया से फरेब रखकर पटवारी हल्का को किये गये बेचान के बाबत सही तथ्यों को ना बताते हुए अपने नाम के खातेदारी इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड मे पिताजी की मृत्यु के बाद बजरिये विरासत नामान्तरकरण सं0 1410 दिनांक 20 सितम्बर 2017 को खुलवा लिये गये है। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को होने पर अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 से तहसील कार्यालय चलकर दुरस्त करवाये जाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण इंकार हो गये। इसलिए प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने जरिये वकील उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दिनांक 15.03.2010 को आराजी खसरा नं0 377 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 378/1 रकबा. 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 18 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा एवं खसरा नं0 376 रकबा 18 बिस्वा मे से हिस्सा 5/12 को पूर्व खातेदार पांची पत्नि बाबू जाति नाथ द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिफल के रूप मे 50000/– रूपये देकर खरीद कर कब्जा प्राप्त कर जैर आराजीयात का विक्रय का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाकर खरीद की दिनांक से अप्रार्थी सं0 1 अपने हिस्से आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण जैर आराजीयात के संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं कानूनी रूप से सहखातेदार काश्तकार को जरिये अस्थीय निषेधाज्ञा से पावन्द नही फरमाया जा सकता इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया ने झूंठा एवं गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, क्योंकि झूंठा इकरारनामा बताया गया है जबकि इकरारनामा की सुनवाई का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 ने रजिस्टर्ड वयनामा अप्रार्थी नलं0 6 के हक मे करवाकर कब्जा व अधिकार भी संभलवा दिया था। इसलिए प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं0 7 का जवाब प्रकरण मे राज्यकहित प्रभावित नही होने के कारण अपेक्षित नही है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दरतावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम ईनायती तहसील सपोटरा सम्बत् 2072–75 के अनुसार अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 के पिता कलुआ उर्फ रामजीलाल आराजी खसरा नं0 376 के हिस्से 1/6 का सहखातेदार दर्ज है तथा कलुआ उर्फ रामजीलाल की फोत के बाद उसके वारिशान अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज है। उक्त खसरा नं0 के हिस्से 1/6 को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 ने अप्रार्थी सं0 6 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया है जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज कथन कि प्रार्थीया ने उक्त आराजी खसरा नं0 376 के हिस्से 1/6 को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 के पिता कलुआ उर्फ रामजीलाल से खरीद किया है के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये है। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 ने विवादित भूमि अर्थात अपने हिस्से की भूमि दावा दायर होने से पूर्व ही विक्रय कर दी है तथा सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार होता है ऐसी स्थिति मे सहखातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है ना ही प्रार्थीया को कोई असुविधा हुई है ना ही कोई अपूरणयी क्षति हुई है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थीया के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला-करौली

Scanned by CamScanner

जावेगा। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner